

हूलांगापार गबिबन अभयारण्य में ड्रलिंग

प्रलमिस के लयि:

[हूलांगापार गबिबन वन्यजीव अभयारण्य](#), [हूलांक गबिबन](#), [वन सलाहकार समति](#), [IUCN रेड लसिट](#)

मेन्स के लयि:

पर्यावरण और वन्यजीव चतिाएँ, संरक्षति क्षेत्रों में संरक्षण चुनौतियीं, जैववधिता और आवास वखिंडन, मानव-पशु संघर्ष

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यीं?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा असम के [पारसिथतिकी-संवेदनशील क्षेत्रों](#) में तेल और गैस अन्वेषण के लयि हाल ही में दी गई मंजूरी से [लुप्तप्राय हूलांक गबिबन पक्षी पर संभावति खतरे](#) के वषिय में चतिाएँ बढ गई हैं ।

- वेदांता लमिटेड की तेल एवं गैस इकाई केयरन इंडिया, [हूलांगापार गबिबन वन्यजीव अभयारण्य](#) के पारसिथतिकी-संवेदनशील क्षेत्र में अन्वेषण के लयि 4.4998 हेक्टेयर आरक्षति वन भूमा का उपयोग करना चाहती है ।

तेल और गैस ड्रलिंग का हूलांक गबिबन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- खतरे में लुप्तप्राय प्रजातियीं: वृक्ष छत्र के शीर्ष पर रहने वाला हूलांक गबिबन आवास वखिंडन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है । कोई भी व्यवधान, चाहे वह छोटा ही क्यीं न हो, उनके आवागमन और अस्तित्व को बुरी तरह प्रभावति कर सकता है ।
- अनेक प्रजातियीं की उपस्थति: अन्वेषण के लयि प्रस्तावति क्षेत्र [हाथियीं](#), [तेंदुआँ](#) और हूलांक गबिबन का नवास स्थान है, जो वहाँ की समृद्ध जैववधिता को दर्शाता है ।
 - इस बात को लेकर चतिा व्यक्त की जा रही है कतिले ड्रलिंग [सेमानव-वन्यजीव संघर्ष](#) बढ सकता है तथा [इन प्रजातियीं के आवास नष्ट हो सकते हैं](#) ।
- [पछिली घटनाएँ](#): असम में बाघजन वसिफोट (2020) जसिने व्यापक पारसिथतिकी क्षति पहुँचाई, संवेदनशील क्षेत्रों में तेल और गैस अन्वेषण से जुड़े जोखमिों का एक चेतावनीपूर्ण उदाहरण है ।

असम में तेल और गैस ड्रलिंग परयोजना की वर्तमान स्थति

- [अनुमोदन](#): असम के कुछ भागों, वशेषकर हूलांगापार गबिबन वन्यजीव अभयारण्य और अन्य पारसिथतिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तेल एवं गैस अन्वेषण ड्रलिंग के लयि प्रारंभिक अनुमोदन प्रदान कयिा गया ।
 - यद्यपि [वन सलाहकार समति \(FAC\)](#) ने अपना अंतमि नरिण्य स्थगति कर दयिा है ।
 - इस पार्क के भीतर वसितारति पहुँच ड्रलिंग के लयि एक अलग प्रस्ताव को FAC ने [सर्वोच्च न्यायालय](#) के नरिदेशों के अनुरूप खारजि कर दयिा है ।
 - [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वर्ष 2023 में नरिदेश दयिा था किराष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर तथा उनकी सीमा से एक कलिमीटर के क्षेत्र में खनन की अनुमतनिहीं होगी ।
- [पर्यावरण और वन्यजीव चतिाएँ](#): FAC ने हूलांक गबिबन और अन्य वन्यजीवों को होने वाले व्यवधान को न्यूनतम करने के लयि वन्यजीव प्रबंधन तथा शमन योजना तैयार करने का सुझाव दयिा है ।
 - इस परयोजना में सुरक्षा प्रकरयिाओं और [भूखलन](#) एवं [अपरदन](#) के वरिद्ध नवारिक उपायों का कड़ाई से पालन कयिा जाना अनवार्य है ।

हूलाँक गबिबन के वषिय में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परचिय: गबिबन दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटबिधीय और उपोष्णकटबिधीय जंगलों में पाए जाते हैं तथा इन्हें सभी वानरों में सबसे छोटे एवं सबसे तेज़ वानरों के रूप में भी जाना जाता है। हूलाँक गबिबन, भारत के पूर्वोत्तर में पाया जाने वाला अद्वितीय गबिबन है, जो 20 गबिबन प्रजातियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी अनुमानित संख्या 12,000 है।
 - वर्ष 1900 के बाद से घटती जनसंख्या और वनितरण के कारण सभी 20 गबिबन प्रजातियाँ विलुप्त होने के उच्च जोखिम में हैं।
 - हूलाँक गबिबन को मुख्यतः बुनयादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये [नरिवनीकरण](#) से खतरा है।
- भारत में गबिबन प्रजातियाँ: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो विशिष्ट हूलाँक गबिबन प्रजातियाँ पाई जाती हैं: पूर्वी हूलाँक गबिबन (*Hoolock leuconedys*) और पश्चिमी हूलाँक गबिबन (*Hoolock hoolock*)।
 - हैदराबाद स्थित [सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी \(CCMB\)](#) द्वारा वर्ष 2021 में किये गए एक अध्ययन ने आनुवंशिक विश्लेषण के माध्यम से साबित कर दिया कि भारत में वानर की केवल एक ही प्रजाति है, जिससे पहले के शोध को खारजि कर दिया गया कि पूर्वी हूलाँक गबिबन एक अलग प्रजाति थी।
 - अध्ययन से यह नषिकर्ष नकिला का दोनों आबादियाँ 1.48 मिलियन वर्ष पूर्व पृथक् हो गई थीं, जबकि गबिबन का 8.38 मिलियन वर्ष पूर्व अपने मूल पूर्वज से पृथक् विकास हुआ।
 - हालाँकि [IUCN रेड लिस्ट](#) में पश्चिमी हूलाँक गबिबन को संकटग्रस्त और पूर्वी हूलाँक गबिबन को सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है।
- संरक्षण:
 - भारत में, यह प्रजाति [भारतीय \(वन्यजीव\) संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1](#) के तहत संरक्षित है।
 - असम सरकार ने वर्ष 1997 में हूलाँगापार रज़िर्व फॉरेस्ट को गबिबन वन्यजीव अभयारण्य में उन्नत किया, जो किसी नरवानर या प्राइमेट (Primate) प्रजाति को समर्पित पहला संरक्षित क्षेत्र था।



हूलाँगापार गबिबन वन्यजीव अभयारण्य के वषिय में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- हूलोंगापार गबिबन वन्यजीव अभयारण्य, जसिकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई और पुनः उसका नाम बदल दिया गया, **भारत के असम** में एक महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है।
 - वर्ष 2004 में इसका नाम बदलकर **गबिबन वन्यजीव अभयारण्य** या **हूलोंगापार रज़िर्व फॉरेस्ट** कर दिया गया, यह अभयारण्य अपनी अद्वितीय जैवविविधता के लिये प्रसिद्ध है, विशेष रूप से **भारत में गबिबन हेतु एकमात्र नविस सथान** के रूप में।
- वनस्पति: ऊपरी कैनोपी में **हॉलॉग वृक्ष (???)** का प्रभुत्व है, जो 30 मीटर तक ऊँचा होता है, इसके साथ ही **सैम, अमारी, सोपास, भेल, उदल और हगिरी जैसी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।**
 - मध्य कैनोपी की विशेषता **नाहर वृक्ष** है। नचिली कैनोपी में **वभिन्न प्रकार की सदाबहार झाड़ियाँ और जड़ी-बूटियाँ** हैं।
- जीव-जंतु: **हूलॉक गबिबन और बंगाल स्लो लोरसि पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रचिर प्राइमेट है।**
 - अन्य प्राइमेट: **स्टंप-टेल्ड मकाक, उत्तरी पंगि-टेल्ड मकाक, पूर्वी असमिया मकाक, रीसस मकाक और कैपड लंगूर।**
 - **स्तनधारी:** भारतीय हाथी, बाघ, तेंदुए, जंगली बलिलियाँ, जंगली सूअर तथा वभिन्न सविट, गलिहरी एवं अन्य स्तनधारी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

जब मानव तथा वन्यजीवों के आमने-आने से संपत्ति, आजीविका तथा जीवन की हालि जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं

मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण

- ◆ कृषि संबंधी विस्तार
- ◆ शहरीकरण
- ◆ अवसंरचनात्मक विकास
- ◆ जलवायु परिवर्तन
- ◆ वन्यजीवों की आबादी में वृद्धि तथा इनके क्षेत्र (रेंज) का विस्तार

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव

- ◆ गंभीर चोटें, जीवन की हालि
- ◆ खेतों और फसलों को नुकसान
- ◆ जानवरों के खिलाफ हिंसा विस्तार

2003-2004 के दौरान WWF इंडिया ने सोनितपुर मॉडल विकसित किया जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को असम वन विभाग से जोड़ा गया और हाथियों को फसली खेतों तथा मानव आवासों से सुरक्षित रूप से दूर करने का प्रशिक्षण दिया गया।

2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी गलियारों पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के लिये मार्ग के अधिकार (Right of passage) और क्षेत्र में रिसॉर्ट्स को बंद करने की पुष्टि की गई थी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु सलाह (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति)

- ◆ समस्यात्मक जंगली जानवरों से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार (WPA 1972)
- ◆ मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसल क्षति के लिये सुआवजा (पीएम फसल बीमा योजना)
- ◆ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाने और अवरोधक लगाने के लिये स्थानीय/राज्य विभाग
- ◆ पीड़ित/परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान करना

राज्य-विशिष्ट पहलें

- ◆ **उत्तर प्रदेश-** मानव-पशु संघर्ष सूचीबद्ध आपदाओं के अंतर्गत शामिल (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में)
- ◆ **उत्तराखंड-** क्षेत्रों में पौधों की विभिन्न प्रजातियों को उगाकर बायो-फेंसिंग की जाती है
- ◆ **ओडिशा-** जंगली हाथियों के लिये खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु वनों में सीड बॉल डालना

मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी आँकड़े

	2019	2020	2021
बाघों द्वारा मारे गए मनुष्य	50	44	31
बाघों की प्राकृतिक मृत्यु	44	20	4
बाघों की अप्राकृतिक मृत्यु, शिकार द्वारा नहीं	3	0	2
जाँच के दायरे में बाघों की मौत	22	71	07
शिकार के चलते बाघों की मृत्यु	17	8	4
जन्मी	10	7	13

हाथी

	2018-19	2019-20	2020-21
हाथियों द्वारा मारे गए मनुष्य	-	585	461
देनों द्वारा मारे गए हाथी	19	14	12
विद्युत आघात द्वारा	81	76	65
शिकार द्वारा	6	9	14
विष देकर	9	0	2

वर्ष 2021-22 में हाथियों द्वारा 533 मनुष्य मारे गए

दृष्टि मनेस प्रश्न:

प्रश्न. उन क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष कसि प्रकार प्रकट होता है जहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण करती हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

???:

प्रश्न. नमिनलखिति युगों पर वचिर कीजयि: (2010)

	संरक्षित क्षेत्र	प्रसदिध
1.	भीतरकनकिग, उड़ीसा	लवण जल का मगरमच्छ
2.	रेगसितान राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान	ग्रेट इंडियन बस्टरड
3.	एरावकिलम, केरल	हूलॉक गबिबन

ऊपर दिये गए युगों में से कौन-सा/से युग सही ढंग से मेल खाता है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/oil-drilling-in-assam-s-hoollongapar-gibbon-sanctuary>

